न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर मध्यप्रदेश

नि/निगरानी/शिवपुरी/भू-रा/2017/2450

प्रकरण क्रं. /पीबीआर/2017

हाकिम सिंह पुत्र तेजसिंह जाति यादव
निवासी-ग्राम अमरफुला जिला शिवपुरी
......आवेदक

विरूद्ध

1. शासन जर्ये अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी तरतीबी पक्षकार
2. रामनरेश पुत्र दीनानाथ राठौर
3. मोहन सिह पुत्र बृखभान पुत्रगण सोनेराम निवासीगण-ग्राम सांपरारा शिवपुरी
4. नथुआ पुत्र चिंटू चमार निवासी-ग्राम पोहरी शिवपुरी ....अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र निगरानी विरूद्ध प्रकरण क्रं. 152/2013-14/स्वमेव निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी आदेश दिनांक 04.03.2017 अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

श्रीमान जी,

आवेदक का निगरानी प्रार्थना पत्र निम्नानुसार श्रीमान जी की सेवा में प्रस्तुत हैः-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यहकि, आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजी ग्राम नैनागढ़ तहसील पोहरी जिला शिवपुरी में है जिसका वर्तमान **सर्वे क्रं. 188 रकबा 1.04 हैक्टेयर** है । जिसका आवेदक राजस्व अभिलेखो में विधिवत भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है । खसरे में कहीं भी भूमि के बाबत किसी भी नौईयत का वर्णन नही किया गया है। (खसरा संलग्न है)

2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना भू-अभिलेखों का परीक्षण किए तथा बिना भू-दान बोर्ड का बिना अभिलेख मंगाए तथा बन्दोबस्त की बिना रीकॉल सूची को मंगाए स्वयं के विवेक से यह आदेश पारित किया गया है इससे दुःखी होकर यह निगरानी श्रीमान जी की सेवा में प्रस्तुत है ।

क्रमशः...2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक / निगरानी / शिवपुरी / भू0रा0 / 2017 / 2450

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.10.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एन. शर्मा को निगरानी प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिए जाने, अवधिविधान की धारा 5 एवं ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया। यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण क. 152 / 13–14 / स्व0 निग0 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। 2. आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि आलोच्य आदेश उन्हें बिना सूचना दिए दिया गया है। जबकि उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 65–7 (ख) के प्रावधानों का अध्ययन भलीभांति नहीं किया गया है। 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अपर कलेक्टर के आदेश का अवलोकन किया। यह प्रकरण शासकीय पट्टे की भूमि को बिना जिलाध्यक्ष की अनुमति के विकय के संबंध में है। अपर कलेक्टर, शिवपुरी द्वारा अपने आदेश में यह पाया है कि विवादित भूमि भूदान की है जिस पर नथुआ पुत्र चिन्टू चमार को भूदान कृषक का पट्टा होना पाया गया। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में आलोच्य भूमि का अंतरण बिना कलेक्टर की अनुमति के किये जाने के कारण भूमि को शासकीय घोषित किये जाने के आदेश दिए गए हैं। संहिता की धारा 165–7 (ख) के अनुसार प्राप्त भूमि को बिना कलेक्टर की पूर्वानुमति के विकय नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा न्यायदृष्टांत 2002 आर0एन0 250 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) 158(3) तथा 165(7) (ख) – धारा 158 (3) के अधीन भूमि का अंतरण – धारा 165 (7) (ख) के उपबंधों के अध्यधीन है अर्थात कलेक्टर की अनुज्ञा आज्ञापक है । यदि अनुमति के बिना विकय किया भी गया, वह समस्त संव्यवहार प्रारंभ से ही शून्य एवं अकृत है । न्यायदृष्टांत 2009 आर0एन0 187 जो माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय पर	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आधारित है में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 165 (7) (ख), 158 (3) तथा 110 शासकीय भूमि पट्टे पर प्राप्त की गई । 10 वर्ष उपरांत पट्टेदार भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये तब भी ऐसी भूमि का अंतरण जिलाधीश की अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं किया जा सकता है । यदि अनुमति के बिना विक्रय किया भी गया, वह समस्त संव्यवहार प्रारंभ से ही शून्य एवं अकृत है । माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर कलेक्टर का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशासकीय सदस्य	